

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र- चरण-II में प्रतसिप्रदधा बढ़ाने की योजना

प्रलिमिस के लिये:

पूंजीगत सामान, प्रत्यक्ष विद्युती निविश, मुक्त व्यापार समझौता।

मेन्स के लिये:

भारतीय अरथव्यवस्था में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का महत्व, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

चर्चा में क्यों?

भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र- चरण-II में प्रतसिप्रदधा बढ़ाने की योजना की अधिसूचना जारी कर दी है, ताकि सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान की जा सके।

प्रमुख बांधु

परचियः

- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतसिप्रदधा बढ़ाने वाली इस योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य पहले चरण की प्रायोगिक योजना के प्रभाव को विस्तार देना और उसे आगे बढ़ाना है। इस तरह वैश्वकि सतर पर प्रतसिप्रदधा योग्य पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की मजबूत रचना करके उसमें तेज़ी लाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र निर्माण क्षेत्र में कम से कम 25 प्रतशित का योगदान करता है।
- प्रौद्योगिकी विकास और बुनियादी ढाँचे के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु नवंबर 2014 में 'भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतसिप्रदधा में वृद्धि' योजना को अधिसूचित किया गया था।

वित्तीय परवियः

- इस योजना में 975 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन और 232 करोड़ रुपए के उद्योग योगदान के साथ 1207 करोड़ रुपए का वित्तीय परविय शामिल है।

घटकः

- प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान।
- चार नए 'उननत उत्कृष्टता केंद्रों' की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार।
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देना-कौशल सतर 6 और उससे ऊपर के लिये योग्यता पैकेज बनाना।
- चार 'कॉमन इंजीनियरिंग फैसिलिटी सेंटर्स' (CEFCs) की स्थापना और मौजूदा CEFCs का संवर्द्धन।
- मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार।
- दस 'इंडस्ट्री एक्सेलरेटर्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट' की स्थापना करना।

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्रः

पूंजीगत वस्तुः

- पूंजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) भौतिक संपत्तियाँ हैं जिन्हें एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादों और सेवाओं के निर्माण हेतु उपयोग करती हैं तथा जिनका बाद में उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है।
- पूंजीगत वस्तुओं में भवन, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल हैं।
- पूंजीगत वस्तुएँ तैयार माल नहीं होतीं बल्कि उनका उपयोग माल को निर्माण करने के लिये किया जाता है।
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का गुणक प्रभाव होता है और उपयोगकर्ता उद्योगों के विकास पर इसका असर पड़ता है क्योंकि यह विनिर्माण गतविधि के अंतर्गत आने वाले शेष क्षेत्रों को महत्वपूर्ण इनपुट, यानी मशीनरी और उपकरण प्रदान करता है।

प्रदृश्यः

- पूंजीगत वस्तु उद्योग का कुल विनिर्माण गतविधि में 12% का योगदान है जो सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.8% है।
- यह लगभग 1.4 मिलियन प्रत्यक्ष और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है।

■ संबंधित नीतियाँ:

- इस कषेत्र के लिये किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।
- सरतः मार्ग (RBI के माध्यम से) पर 100% तक **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति है।
- विदेशी सहयोगी को परोद्योगिकी हस्तांतरण, डिजाइन और ड्राइंग, रॉयलटी आदि के लिये भुगतान की मात्रा की कोई सीमा नहीं है।
- आमतौर पर **अधिकितम मूल सीमा शुल्क दर** (**maximum basic customs duty rate**) 7.5-10% है।
- भारत ने कई **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** दर्ज किये हैं, जिसमें शुल्क की दरें और भी कम हैं तथा परियोजना आयात सुविधा के तहत कम शुल्क दरें भी उपलब्ध हैं।
- विदेश व्यापार महानदिशालय (DGFT)**, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कच्चे माल, उपभोग्य सामग्रियों एवं घटकों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देकर नरियात को बढ़ावा दिया जाता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/scheme-on-enhancement-of-competitiveness-in-the-indian-capital-goods-sector-phase-ii>

